# न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी(SDO), पिण्डवाडा

**पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह,आर.ए.एस.**

1. श्रीमती लसी बेवा हीमाजी जाति कलबी निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
2. श्री परबाराम पुत्र हीमाजी जाति कलबी निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
3. श्री रामाराम पुत्र हीमाजी जाति कलबी निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
4. श्री मोतीराम पुत्र हीमाजी जाति कलबी निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही

प्रार्थीगण

**बनाम**

1. श्री शंकरलाल पुत्र मालाजी जाति कलबी निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
2. श्री सवाराम पुत्र देवाराम जाति कलबी निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
3. श्री कालुराम पुत्र देवाराम जाति कलबी निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
4. श्री नारायण पुत्र देवाराम जाति कलबी निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
5. श्रीमती सविताबाई बेवा देवाराम जाति कलबी निवासी पेशुआ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
6. श्री परबतसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपुत निवासी शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
7. श्री शैतानसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपुत निवासी शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
8. श्रीमती पवनबाई बेवा मूल[illegible] शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
9. श्रीमती जशोदा कुवर पु[illegible] निवासी शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
10. श्रीमती गीता कुवर पुत्री मूलसिंह जाति राजपुत निवासी शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
11. श्रीमती सज्जन कुवर पुत्री मूलसिंह जाति राजपुत निवासी शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:38:42 IST
Reason: SelfAttested

12. श्री मानसिंह पुत्र सोनसिंह जाति राजपुत निवासी शिवगढ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा .......... अप्रार्थीगण

## राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए)

## राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 191 / 2018**

**उपस्थिति : –**

1. श्री जयदेव सिंह चारण, प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री नितीन अग्रवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 5
3. श्री गोंगाराम मीणा पेरोकार सरकार अप्रार्थी संख्या 13

दिनांक : 25/11/2020

**–: आदेश :–**

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते रास्ते बाबत् अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि मौजा शिवगढ पटवार हल्का कोजरा भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र कोजरा तहसील पिण्डवाडा में स्थित प्रार्थीगण की कृषिभूमि खसरा संख्या 619, 620 व 621 रकबा 7.05, 4.06 बीघा है। उक्त खसरा संख्या 619 की खातेदार हिस्सा 1/4 श्रीमती [illegible] दानाराम जाति पुरोहित है जो प्रार्थीगण के साथ रास्ता उपलब्धी में सहमत है। अप्रार्थीगण 1 ता 5 की कृषि आराजी खसरा संख्या 615, 616 व 617 रकबा 6.12 बीघा ग्राम शिवगढ पटवार हल्का कोजरा में स्थित है। तथा खसरा संख्या 618 रकबा 1.09 बीघा कृषि आराजी ग्राम शिवगढ पटवार हल्का कोजरा मे अप्रार्थी संख्या 7 ता 12 की कृषि आराजी स्थित है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 619, 620, 621 मे आने जाने हेतु कोई राजस्व या अन्य रास्ता [illegible] नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी उपरोक्त कृषि आराजी में आने [illegible] रास्ता नाप 2 मदता चौडा रास्ता प्रस्तावित किये अनुसार दिया [illegible] है जो अप्रार्थीगण की कृषि भूमि उपरोक्त के मध्य स्थित लोर से लगते उपलब्ध है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 615,616,617,618 से लगते पूर्व दिशा में ग्राम [illegible] पटवार हल्का पेशुआ की [illegible] भूमि स्थित है तथा दोनो पटवार हल्का के मध्य जो रास्ता है जो पेशुआ [illegible] से पेशुआ तालाब की तरफ जाता है तथा उक्त रास्ता नरेगा कार्य के अन्तर्गत [illegible]

सहायक

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:38:42 IST
Reason: SelfAttested

हुआ है एवं उक्त रास्ता से आकर प्रार्थीगण खसरा संख्या 615,616,617,618 के मध्य स्थित लोर से होते अपनी कृषि आराजी में कृषि कार्य हेतु आते जाते है। लेकिन पिछले करीब एक वर्ष से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को कृषि जोत प्रयोजनार्थ साधन ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने में विवाद उत्पन्न कर रोकते है तथा मरने मारने पर उतारू होते है। प्रार्थीगण लोर के सहारे हमेशा आने जाने हेतु लोर का उपयोग करते आ रहे थे लेकिन अप्रार्थी शंकरलाल द्वारा विद्युत कनेक्शन स्वीकृत होने से उसी लोर पर विद्युत पोल खडे करवाते खसरा संख्या 193,194 में स्थित उसके कुए पर लाईन ले जाने पर आमादा है जिससे प्रार्थीगण का लोर से आना जाना भी बंद हो जायेगा तथा प्रार्थीगण को बडी भारी असुविधा होगी। प्रार्थीगण को अन्य कही से कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। न्यायालय श्रीमान प्रार्थीगण को सुलभ एवं उचित रास्ता उपलब्ध कराने पर प्रार्थीगण नियमानुसार मुआवजा राशि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 को अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में प्रार्थीगण की कृषि भूमि अनुपयोगी हो जायेगी तथा प्रार्थीगण को काश्त वंचित होना पडेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूतनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित अनुसार रास्ता उपलब्ध कराकर रास्ता राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कराने के आदेश अनुग्रहित करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 24.07.2018 दर्ज किया जाकर अप्रार्थी गणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की तामिली पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री नितीन अग्रवाल ने वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी। अप्रार्थी संख्या 7 श्री शैतानसिंह पुत्र मूलसिंह प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि अप्रार्थीगण 6 ता 12 की ओर से प्रार्थनापत्र में वर्णित खसरा संख्या 618 रकबा 1.9 बीघा कृषि भूमि में हम खातेदार कृषक है। जिसमें से प्रार्थी ने अपनी खातेदारी में जाने हेतु माननीय न्यायालय से रास्ता चाहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता अनुसार प्रार्थी को हमारे उक्त खसरे से रास्ता उपलब्ध कराये जाने पर हमे कोई आपत्ति नहीं है। तथा इस हेतु हमारी सहमती है। अप्रार्थी 1 ता 5 के अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से दिनांक 16.01.2019 को जवाब पेश किया [illegible] अधिवक्ता ने अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी की कृषि भुमि में जा[illegible] है मु गोचर है उस रास्ते से प्रार्थीगण कदीम से जा रहे है इस कारण उनको अप्रार्थीगण की कृषि भुमि में से रास्ता दिया जाना उचित नही है। प्रार्थीगण का खसरा संख्या 615, 616, 617, 618 से अपनी कृषि भुमि में आने जाने का कथन गलत है प्रार्थीगण कदीम से खसरा संख्या 631 जो गोचर भुमि है उसमें से होकर आवागमन करते आ रहे है। इस कारण अप्रार्थीगण की भुमि में से रास्ता दिया जाना उचित नही है। अधिवक्ता ने अपने विशेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:38:42 IST
Reason: SelfAttested

कथन में बताया कि प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजी में खसरा संख्या 631 गोचर में कदीम से आते जाते रहे है प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की भुमि में से रास्ता प्राप्त करने का कोई हक अधिकार नही है। प्रार्थीगण ने स्वयं अप्रार्थीगण की भुमि के ओर से आने जाने का कथन किया है जो गलत है फिर भी इस संबंध में निवेदन है कि जब रास्ता पहले से मौजुद है एवं उसे यदि बंद कर दिया गया है तो प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर.टी.एक्ट का दावा परिपोषणीय नहीं होकर उसे सुखाधिकार के दावे का ही अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण ने न्यायालय को गलत कथन बताने की नियत से राजस्व रेकर्ड का लट्ठा नक्शा पेश नहीं किया है यदि वर्तमान प्रार्थना पत्र अनुसार नक्शा दिया जाता है तो खसरा संख्या 615, 616, 617 व 618 चार खसरो में से भुमि जाती है जिनका क्षैत्रफल भी काफी कम है एवं अप्रार्थीगण को काश्त करने में भी परेशानी होगी जबकि प्रार्थीगण की कृषि भूमि से लगता खसरा संख्या 623 एकमात्र खसरा है जो रास्ते से लगता है उसका क्षैत्रफल भी तुलनात्मक अत्यधिक है इस कारण प्रार्थीगण को खसरा सं. 631 गोचर भुमि अथवा खसरा संख्या 623 से रास्ता मांगना चाहिये। खसरा सं 631 गोचर भुमि है एवं प्रार्थीगण कदीम से रास्ते के रूप में इस खसरे की भुमि का उपयोग भी करते है गोचर भुमि होने से किसी काश्तकार को भी रास्ता देने से खेती में तकलीफ नही होगी। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ लट्ठा नक्शा व अन्य कोई दस्तावेजात पेश नही किये है एवं जो दस्तावेजात पेश किये है वो भी फोटो कॉपी है इस बिनाह पर भी प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज करने योग्य है। प्रार्थीगण ने बदनियति से अप्रार्थीगण को काश्त में नुकशान पहुंचाने एवं उसकी भुमि कम एव अनुपयोगी करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। धारा 251 ए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की [illegible] की भुमि खसरा संख्या 623 व अन्य खसरो की भुमि के काश्तकार को [illegible] आवश्यक है। खसरा संख्या 631 भी ग्राम पंचायत की भुमि है इसलिये [illegible] भी पक्षकार बनाना आवश्यक है इसके अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। अतः प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के साथ नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र म[illegible] फरमावे। अप्रार्थी संख्या 2,4,5 जवाब देना नहीं चाहने से [illegible] जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 13 स्टेट की ओर [illegible] को पेश किया। स्टेट ने अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी लसी बेवा [illegible] परबाराम, रामलाल, कालुराम, नारायणलाल पिता देवाराम, सविताबाई बेवा देवाराम कौम कलबी निवासीयान पेशुआ, परबतसिंह, शैतानसिंह पिता मूलसिंह, पवनबाई बेवा मूलसिंह, [illegible] कुंवर, [illegible] कुंवर पुत्री मूलसिंह, मानसिंह पुत्र सोनसिंह कौम राजपुत निवासीयान [illegible] है। मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:38:42 IST
Reason: SelfAttested

शिवगढ पटवार हल्का कोजरा मे जमाबंदी संवत 2073–76 तक खाता संख्या 278, 279 मे खसरा संख्या 619, 620, 621 कुल रकबा 11.11 बीघा प्रार्थी पन्नाराम, रामाराम, मोतीराम पिता हीमाजी, श्रीमती लसी बेवा हीमाजी कौम कलबी सा. पेशुआ खातेदार दर्ज है। खसरा संख्या 619 रकबा 7.05 बीघा मे 1/4 हिस्से मे सोनी बेवा गणाराम कौम पुरोहित दर्ज है। शेष 3/4 हिस्से मे प्रार्थी खातेदार दर्ज है। मौजा शिवगढ मे खाता संख्या 291 खसरा संख्या 615, 616, 617 रकबा कुल 6.12 बीघा मे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 खातेदार दर्ज है व खसरा संख्या 618 रकबा 1.09 बीघा मे प्रतिवादी संख्या 7 से 12 खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगणो के खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 620 मे कुआ खोदा हुआ है व खसरा सं. 624,623,617,615,612 जो ग्राम शिवगढ व ग्राम धापपुरा की सरहद पर स्थित है। उक्त खसरा नम्बरान की सीमा पर ग्राम धापपुरा की सरहद पर 10–12 फीट चौडा रास्ता स्थित है। जो मौके पर वर्तमान मे आवागमन हेतु चालू है। उक्त रास्ता से खसरा नम्बर 618,617,616 मे से खसरा नम्बर 615 की सीमा पर 16 फीट रास्ता वादी द्वारा चाहा गया है परन्तु उक्त रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की खातेदारी के बीच आने से दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः खसरा नं 623,617,618 को बीच सीमा पर खसरा नं. 617 व 618 मे से दिया जाना उचित प्रतीत होता है। मौजा शिवगढ मे खसरा नं. 615,616,617,618 की सीमा व मौजा धापपुरा की सरहद पर ग्रेवल सडक से वादीगणो की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 620,621 की पश्चिम सीमा पर खसरा नम्बर 631 है। जो गै. मु. गोचर दर्ज है व उत्तर व दक्षिण दिशा में खातेदारी स्थित है। अतः अन्य कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड व मौके पर वर्तमान मे उपलब्ध नही है। स्टेट की ओर से दिनांक 18.11.2020 को मौका रिपोर्ट पेश हुई जिसमे स्टेट ने बताया कि वादीगणो के खसरा संख्या 620 मे कुआ है एवं प्रार्थीगण इनकी सीमा पर स्थित खसरा संख्या 631 गै. मु. गोचर मे से होकर आवागमन करते है। उक्त गोचर भूमि ग्राम पंचायत कोजरा की है। व ग्राम शिवगढ मे स्थित है व खातेदार (प्रार्थीगण) ग्राम पेशुआ, ग्राम पंचायत पेशुआ के निवासी है। अतः आने जाने हेतु उक्त रास्ता उबड–खाबड व ज्यादा लम्बा है। [illegible] खसरा नं 631 मे से 146 गट्ठा चौ. 2 गट्ठा अर्थात 292 गट्ठा [illegible] भूमि आती है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र से संलग्न नक्शे अनुसार [illegible] 618,617,615 के बीच की भाग से चाहते है। जो ग्राम धापपुरा से पेशुआ तक खसरा संख्या 617 व 615 की पूर्वी सीमा से ग्राम शिवगढ व धापपुरा की सीमा पर ग्रेवल सडक बना हुआ है चाहते है। अप्रार्थीगण इन्हे उक्त प्रस्तावित रास्ता नही देना चाहते है। पटवार हल्का कोजरा द्वारा पूर्व मे की गई जाच अनुसार खसरा संख्या 617 व 618 मे से खसरा संख्या 623 की सीमा पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:38:42 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जो वर्तमान में प्रार्थीगण यहां से चाहते है। जिसका क्षैत्रफल खसरा संख्या 617 में से 36 गट्ठा चौ. 2 गट्ठा अर्थात 72 गट्ठा तथा खसरा संख्या 618 में से 24 गट्ठा चौ. 2 गट्ठा अर्थात 48 गट्ठा अर्थात कुल 120 गट्ठा है। खसरा संख्या 631 की किस्म गै.मु.गोचर है व गोचर भूमि की सीमा से लगती हुई बिलानाम भूमि नहीं होने से पुर्नभरण हेतु भुमि का पुर्नभरण नहीं किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में आवागमन बाधित नहीं है।

प्रकरण में दिनांक 24.11.2020 को अंतिम बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित अनुसार रास्ता उपलब्ध करावें। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब के कथन को दोहराते हुए बताया की प्रार्थी की कृषि भुमि में जाने के लिये खसरा संख्या 631 गै. मु. गोचर है उस रास्ते से प्रार्थीगण कदीम से जा रहे है इस कारण उनको अप्रार्थीगण की कृषि भुमि मे से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने योग्य है।

## —: क्रियान्वित आदेश :—

पत्रावली के अवलोकन तथा प्रार्थी / अप्रार्थी अधिवक्ता, की बहस एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने एवं आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

(हरिसिंह)
भू अभिलेख अधिकारी(SDO)
पिण्डवाडा

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दि[illegible] 2020 को हस्ताक्षर किये जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:38:42 IST
Reason: SelfAttested

(हरिसिंह)
भू अभिलेख अधिकारी(SDO)
पिण्डवाडा